



राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

RAJA SHANKAR SHAH UNIVERSITY CHHINDWARA(M.P.)

PG College Campus Dharam Tekri,

e-mail rssuceexamcell@gmail.com

आजादी का
अमृत महोत्सव


पत्र क्र. २५७५० / परीक्षा / रा.शं.शा.वि.वि. / 2024

छिन्दवाड़ा दिनांक: ३/१०/२०२४

// अधिसूचना //

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2024-25 में महाविद्यालय ट्रांसफर एवं मोड परिवर्तन (नियमित से प्रायवेट एवं प्रायवेट से नियमित) की प्रक्रिया दिनांक 09/10/2024 से 20/10/2024 तक प्रभावशील रहेगी। उक्त हेतु विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्र. 11673/आई.टी./राशंशावि/2022, छिन्दवाड़ा दिनांक 18/04/2023 का अनुसरण करते हुए समस्त महाविद्यालय एवं विद्यार्थी कार्यवाही समय-सीमा पर पूर्ण करें। मोड परिवर्तन उक्त दिनांक के पश्चात् युक्त-युक्त कारण होने के पश्चात् ही स्वीकार किये जावेंगे।

आदेशानुसार


कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाड़ा दिनांक ३ / १० / २०२४

२५७५१

पृ.क्र. / परीक्षा / रा.शं.शा.वि.वि. / 2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलगुरु महोदया के निज सहायक की ओर माननीय कुलगुरु महोदया को सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव महोदय की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आई.टी. शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)



प्रति,

प्राचार्य

समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय
संबद्ध राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा

विषय :- सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के महाविद्यालय स्थानांतरण (College Transfer) की प्रक्रिया के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा से संबद्धित समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के “महाविद्यालय स्थानांतरण (COLLEGE TRANSFER)” की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के M.P. Online Portal (cuc.mponline.gov.in)के G2G Login के माध्यम से उस महाविद्यालय द्वारा संपन्न की जायेगी जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है।

“महाविद्यालय स्थानांतरण (COLLEGE TRANSFER)” की प्रक्रिया

1. जिस महाविद्यालय से विद्यार्थी प्रवेश निरस्त करवाना चाहता है। उस महाविद्यालय से प्राप्त “अनापत्ति पत्र (NOC)” को अपलोड करें।
2. जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है। उस महाविद्यालय का सहमति पत्र (Acceptance Letter) अपलोड करें।
3. तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के माध्यम से “अनापत्ति पत्र (NOC)” एवं सहमति पत्र (Acceptance Letter) को अनुमोदित (Approved) किया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित (Approved) प्रक्रिया संपन्न करने के पश्चात् संबंधित विद्यार्थी से महाविद्यालय स्थानांतरण (College Transfer) के शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाये।
5. शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के महाविद्यालय स्थानांतरण (College Transfer) की प्रक्रिया संपन्न कर दी जायेगी।

नोट :- (1) - दिनांक 18/04/2023 से 29/04/2023 तक ही “महाविद्यालय स्थानांतरण (COLLEGE TRANSFER)” की प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है।

(2) - महाविद्यालय स्थानांतरण माता/पिता/अभिभावक का स्थानांतरण अथवा छात्रा का विवाह हो जाने की स्थिति में विद्यार्थी महाविद्यालय स्थानांतरण करा सकते हैं

(3) - विद्यार्थियों के पूर्व में प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि पर्याप्त कारण होने पर विद्यार्थी को अन्य महाविद्यालय में जाने के लिए सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।



कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,


छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

छिन्दवाड़ा दिनांक : 18/04/23

पृ.क्र. 11674 /आई.टी./राशंशावि/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
5. लेखा शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
6. आई.टी. शाखा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ।



सहायक कुलसचिव

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय,

छिन्दवाड़ा (म.प्र.)